



2026:AHC:31143-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - **199/2026**

बजरंग मोह रानी फाउंडेशन ट्रस्ट याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: नज़रूल इस्लाम जाफ़री (वरिष्ठ अधिवक्ता), रफ़ीउद्दीन अंसारी, सदरुल इस्लाम जाफ़री

प्रतिवादी के अधिवक्ता: ए.के. गोयल, ए.सी.एस.सी. (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. कथित तौर पर जनहित में यह याचिका, याचिकाकर्ता-ट्रस्ट द्वारा प्रतिवादियों द्वारा जारी दिनांक 22.04.2025 के आदेश और दिनांक 20.08.2025 के संचार की वैधता को चुनौती देने हेतु दायर की गई है।
2. उक्त आदेश और संचार ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों के ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ('अधिनियम') के तहत ड्राइविंग टेस्ट आयोजित करने से संबंधित हैं।
3. याचिका के अवलोकन से संकेत मिलता है कि आदेशों के अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के विपरीत होने के संबंध में कई मुद्दे उठाए गए हैं, हालांकि, याचिका में उठाया गया एक आधार कार्य के घंटों के दौरान प्रशिक्षण केंद्रों को ट्रैक से वंचित करने से संबंधित है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. रिकॉर्ड के सूक्ष्म परीक्षण पर यह पाया गया कि याचिकाकर्ता-ट्रस्ट का ट्रस्ट डीड, जो पृष्ठ 90-92 पर अनुलग्नक-1 के रूप में दाखिल किया गया है, उस पर 'ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाराणसी' के रूप में लोगो और संकेत अंकित है। लोगो 'बीएमआर फाउंडेशन' से संबंधित है। उक्त लोगो अनिवार्य रूप से याचिकाकर्ता फाउंडेशन का है, जो कि बजरंग मोह रानी फाउंडेशन है।
5. जब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के सामने यह तथ्य रखा गया कि ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी स्पष्ट रूप से एक ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान चला रहा है, तो इससे इनकार नहीं किया गया।
6. याचिका में कहीं भी इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है कि ट्रस्ट/ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी एक ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान चला रहा है, जबकि इस तरह के खुलासे पर याचिका का स्वरूप जनहित याचिका जैसा नहीं रह जाता।
7. व्यक्तिगत हित में याचिकाओं को जनहित याचिका का रूप देकर दायर करना न केवल अनैतिक है, बल्कि यह अनिवार्य रूप से न्यायालय के समय की बर्बादी है और यहाँ तक कि वास्तविक याचिकाओं को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगता है।
8. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमें कथित जनहित वाली वर्तमान याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता, अतः इसे खारिज किया जाता है।
9. याचिकाकर्ता द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर जनहित याचिका का रास्ता अपनाने के प्रयास के लिए, हम 50,000/- रुपये का अर्थदंड (लागत) लगाते हैं। यह लागत आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर कानूनी सेवा समिति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जमा की जाएगी, ऐसा न करने पर रजिस्ट्रार (अनुपालन) उक्त लागत की वसूली के लिए कदम उठाएंगे।

(सितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

फरवरी 12, 2026

संदीप/ज्योत्सना

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"